आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 404/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मणिभवनम होम फाईनेन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

प्रार्थी

वित्तीय बैंक

बनाम

1. श्री अवदेश कुमार, पुत्र श्री शरद कुमार जैमन,
2. श्रीमती पूजा मिश्रा,

पता : फ्लेट नम्बर 216, प्रथम तल, शिव प्रियाशु रेजिडेन्सी प्रथम, प्लॉट नम्बर 1,2,3,4,5,6,7 व 8, हाथोज, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

एवं ज्वैल अलायंस नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड, ए–5, जमना लाल बजाज मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

एवं कपाडी मौहल्ला, वार्ड नम्बर 30, दौसा।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :– श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 18.08.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री अवदेश कुमार पुत्र श्री शरद कुमार जैमन के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर 216, प्रथम तल, शिव प्रियाशु रेजिडेन्सी प्रथम, प्लॉट नम्बर 1,2,3,4,5,6,7 व 8, हाथोज, काल़वाड रोड, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल 360 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक 30.03.2018 को राशि 5,81,000/– एवं दिनांक 30.04.2021 को राशि 70,000/– कुल रूपये 6,51,000/– की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.04.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 6,51,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 5,37,082.21/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 20.04.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री शरद कुमार जैमन के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर 216, प्रथम तल, शिव शिवांशु रेजिडेन्सी प्रथम, प्लॉट नम्बर 1,2,3,4,5,6,7 व 8, हाथोज, कालवाड रोड, झोटवाड़ा, जयपुर क्षेत्रफल 360 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शामिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर